


रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-४
लाइसेन्स सं०-डक्यू०पी०-४१
(लाइसेन्स टू प्रोव्. विटालिटी प्रोडक्ट्स)



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 24 नवम्बर, 2018 ई० (अग्रहायण 3, 1940 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाँठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, सेनाग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय नगर निगम मथुरा वृन्दावन, मथुरा

03 अक्टूबर 2018 ई०

सं० 1171/न०आ०का०/न०नि०ग०वृ०-मथुरा/2018-19-उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 335, 541(1), 541(19), 541(26), 541(29), 541(36) 541(42) एवं धारा 542 के अन्तर्गत नगरीय टोस अपरिच्छेद उपविधि 2017 के दृष्टिगत नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा "नगर निगम, मथुरा वृन्दावन के टोस प्रबन्धन उपविधि, 2017" तैयार करते हुये सर्वसाधारण से 15 दिवस के अन्दर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु दो दैनिक समाचार पत्रों "हिन्दुस्तान" एवं दैनिक जागरण में 25.10.2017 को प्रकाशित कराया गया। नियत अवधि के अन्दर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने की दशा में उपविधि को मा० कार्यकारिणी के समक्ष दिनांक 09.02.2018 को रखा गया जिसे तददिनांक को मा० कार्यकारिणी द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 21 दिनांक 09.02.2018 को आंशिक संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है। जिसे संशोधनोपरान्त मा० सदन के समक्ष दिनांक 29.06.2018 को रखा गया जिसे मा० सदन द्वारा सर्वसम्मति से अपने प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 29.06.2018 को पारित कर दिया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 541 के अन्तर्गत बनायी गयी उपविधि धारा 544(1) के प्रावधानों के अनुपालन में किया जाता है जो गज़ट में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू होगी।

1-संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ-

- (क) यह उपविधि नगर निगम, मथुरा वृन्दावन के टोस प्रबन्धन उपविधि 2017 कहलायेगी।
- (ख) ये उपविधि गज़ट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2-लागू होना-

ये उपविधि नगर निगम, मथुरा वृन्दावन के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में समान रूप से प्रभावशील होगी।

3-परिभाषाएँ-

- (क) "शातनिरपेक्ष पदार्थ" से ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें ओक्सीजन के अभाव में कार्बनिक पदार्थ का माइक्रोबायोल विघोजन अन्तर्बलित है।
- (ख) "प्राधिकार" से "सुविधा के प्रचालक" को बोर्ड या समिति द्वारा दी गई सहमति अभिप्रेत है।
- (ग) "जैव निम्नकरणीय पदार्थ" से यह अभिप्रेत है जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है।
- (घ) "जैविक नीधेनीकरण" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नीधेन समृद्ध जैविक गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का एन्जाइमी विघटन करती है।

सुवृत्त नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा

(ड) "संग्रहण" से संग्रहण विन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्टों को उठाना और हटाया जाने वाला कार्य है।

(घ) "कचरा खाद बनाने" से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें कचरे को प्रयोग के लिए निम्नोत्पादक अन्तर्गत है।

(ङ) "ढहाने तथा निराम संबंधी अपशिष्ट" से सन्निर्माण, पुनःनिर्माण, नरम्मत और ढहाने संबंधी सक्रियता के परिणामस्वरूप निर्माण सांनग्री रोडियों और मलबे में उदभूत अपशिष्ट अभिप्रेत हैं।

(च) "व्यथन" से भूजल सतह जल तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता को प्रदूषण से बचाने हेतु आवश्यक साधनों से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्यथन अभिप्रेत है।

(झ) "प्ररूप" से इन नियमों से उपायक प्ररूप अभिप्रेत है।

(ञ) "अपशिष्टों के उत्पादक" से नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है।

(ट) "भूमिचरण" से भूजल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बकवू आग के खतरे, पक्षियों का खतरा नाशी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, टाल, अस्थिरता और बकवू के लिए रिसावत्मक उपायों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट का भूमि पर निपटारा अभिप्रेत है।

(ठ) "निसालितक" से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है या जिसने इसमें से घुलित अथवा मिलन्वित पदार्थ का निष्कर्षण किया है।

(ड) "लार्डसोमीटर" से ऐसी युक्ति अभिप्रेत है जिसका प्रयोग मृदा परत के माध्यम से या उसमें से जल गति मापने के लिए किया जाता है या जिसका प्रयोग गुणवत्ता विश्लेषक के लिए अन्तःस्तर उपाय के एकक्रम में किया जाता है।

(ड) "नगर निगम प्राधिकारी" से नगरी निकाय अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन ऐसे विधि अभिचरण को सौंपा जाता है।

(ण) "नगर ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित और विकसारीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय/अभिलूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(त) "प्रसुविधाओं के प्रचालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डार, परिवहन प्रसंस्करण और निपटारण की प्रसुविधा का स्वामी या प्रचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य अनिकरण भी आता है जो अपने-अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और संचालन के लिए नगर निगम प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है।

(थ) "गुटिकाकरण" से कोई ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे गुटिकाएँ तैयार की जाती हैं जो ठोस अपशिष्टों को संचालन की गई लघु बकवू या बेजानाकार टुकड़ों में बाँगे और इसके अन्तर्गत ईंधन गुटिकाएँ भी आती हैं जिसे कचरे के प्रारंभ ईंधन के रूप में भी निर्दिष्ट किया गया है।

(द) "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नए या पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है।

(ध) "पुनःचक्रण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नए उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को कचरा खाद में परिवर्तित करता है, जो कि अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

(न) "अनुसूची" से इन नियमों से उपायक अनुसूची अभिप्रेत है।

(प) "पृथक्करण" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों में अलग-अलग करना अभिप्रेत है।

(फ) "राज्य बोर्ड या समिति" से व्यवस्थिति, राज्य का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति अभिप्रेत है।

(ड) "भण्डारण" से नगरीय ठोस अपशिष्टों की अस्थायी रूप से इस प्रकार डिब्बा बन्द किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा-करकट बिखरने, रोगवाहकों के आकर्षित करने, आवादा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(ग) "परिवहन" से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा-करकट बिखरने, तथा रोगवाहकों को रोका जा सके।

(म) 'अधिगोमजल' से वह जल अभिप्रेत है जो भू-सतह तथा जमीन जल स्तर के माध्यम से अधो-सतह क्षेत्र में होता है।

(य) "कृमि कचरा खाद बनाना" जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने के लिए केंचुओं को उपयोग में लाने की प्रक्रिया है।

(रि) इसमें प्रयुक्त लिन शब्दों और पदों का अर्थ परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु नगर निगम अधिनियम 1959, नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2018 में परिभाषित है, के अर्थ होंगे जो सम्बन्धित अधिनियम में है।

4-नगर ठोस अपशिष्टों को पृथक्करण-

(अ) समस्त निवासियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने स्थानों से उपसर्जित नगरीय ठोस अपशिष्टों के उद्गम स्थल पर ही पृथक्-पृथक् सूखा व गीला कचरा उपर्युक्त ढक्कननुमा कचरा पात्र में भण्डारित करना होगा व दिन में एक बार ही निर्धारित समय पर उनको डोर टू डोर संग्रहण की उपलब्ध कराई गई सेवा को मासिक शुल्क देकर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा ताकि आम सड़कों, मार्गों पर निगम द्वारा स्वच्छ करने के पर्याप्त किसी प्रकार की गन्दगी कूड़ा-करकट नहीं फैले अन्यथा एन्टी लिटरिंग केयरिंग चार्जज मौके पर वसूल किया जा सकेगा। पुनरावृत्ति पर न्यायालय में नियमानुसार अभियोग दायर किया जा सकेगा।

(ब) नगर निगम, मथुरा वृन्दावनद्वारा समय-समय पर नागरिकों को स्वच्छता के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु नगर निगम स्थानीय सजिडेन्ट वेल्फेयर, ऐस्तोसिऐशन, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, नगर निगम, मथुरा वृन्दावन से अनुबन्धित सफाई के संविदाकारों तथा नागरिकगणों को समझाने एवं कचरा पृथक्करण कर भण्डारित करने व विधिवत परिवहन कराने के लिए प्रोत्साहित करने को अधिकृत होगा।

5-नगरीय ठोस अपशिष्टों का भण्डारण-

(क) नगर निगम, मथुरा वृन्दावन (अथवा उसके द्वारा अधिकृत किये गये क्षेत्रीय संविदाकारों के माध्यम से ठोस अपशिष्टों के भण्डारण सुविधाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षा ऐसी रीति से करेगा, जिससे कि इसके आस-पास अस्वच्छ/अस्वच्छकारी परिस्थितियां पैदा न हो। भण्डारण सुविधाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करते समय निम्नलिखित मानदण्डों को ध्यान में रखा जायेगा -

(क) निर्दिष्ट क्षेत्रों में अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा और जनसंख्या के घनत्व को ध्यान में रखते हुए भण्डारण सुविधाओं का सृजन और स्थापना की जायेगी परन्तु दो भण्डारण सुविधाओं में न्यूनतम दूरी 500 मीटर की होगी और 01 किलोमीटर की परिधि में अधिकतम 05 से ज्यादा भण्डारण सुविधा नहीं होगी। भण्डारण सुविधा मोबाईल ढक्कन द्वारा कन्टेनर के रूप में ऐसे स्थान पर ही होगी जहाँ प्रयोक्ता पहुँच सके।

(ख) नगर निगम, मथुरा वृन्दावन अधिकांश किसी अन्य अधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली भण्डारण सुविधा का डिजायन ऐसा होगा जिससे कि इकट्ठा किया गया कूड़ा करकट वातावरण में खुले रूप में न हो सौन्दर्यपरक रूप में प्रयोक्ता को स्वीकार्य हो एवं उसे कूड़ादान के भीतर ही अपना कचरा खाली करने के लिए प्रेरित करें।

(ग) नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा निर्धारित कूड़ादान स्थलों पर पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नानुसार रंग के पृथक्-पृथक् कन्टेनर भी रखवाये जा सकते हैं :-

(र) हरा	=	जैव निम्नीकरण अपशिष्टों हेतु।
(बी) सफेद	=	पुनः चक्रणयोग्य अपशिष्टों हेतु।
(सी) काला/पीला/नीला	=	अन्य साधारण अपशिष्टों हेतु।

इन कन्टेनरों से कूड़े/अपशिष्टों के हथलन निकाले जाने और परिवहन के लिए सुगम प्रचालन डिजायन के कैरीयर वाहन, काम्पेक्टर उपयोग में लिये जायेंगे।

10
नियुक्त नगर आयुक्त

(घ) शहर में स्थित सभी कोलमेटेड सौसायटीज, एसोसियेशन, आवासीय एवं व्यवसायिक प्रसिद्धि के प्रबंधन की यह जिम्मेदारी होगी कि वे आवश्यक घनत्व के उपयुक्त स्थानों पर आवश्यक संख्या में अपने स्वयं के कन्टेनर, जिसकी डिजाइन नगर निगम मथुरा वृन्दावन से अनुमोदित हो अपने परिसर में स्थापित करें ताकि वह उत्सर्जित कचरे का भली-भांति पृथक-पृथक भांडारण हो सके। जिन्हें नगर निगम, मथुरा वृन्दावन के वाहनों से समदृष्ट रूप से खाली करवाने हेतु वे नगर निगम, मथुरा वृन्दावन को देय यूजर चार्जेज पर अनुबन्ध कर वाहनों की व्यवस्था करवा सकेंगे।

(ङ) समस्त नागरिकों का दायित्व होगा कि वे अपने परिसर में उत्पन्न पुनः चक्रित अपशिष्टों को क्षेत्र में कार्यशील व्यवस्था ढीलने वाले (संग्रहण) नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा अधिष्ठित व्यक्ति या कर्मचारी विक्रय कर दें व किसी भी रिश्ते में अंग सड़क पर अथवा निगम के कूड़ाघर, ढके हुए कन्टेनर में नहीं डालें।

(च) कार्यवाही-नगर निगम, मथुरा वृन्दावन व अन्य व्यवस्था द्वारा (बीओटी/बीजीएफ/स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देशों के आधार पर) की जायेगी और इस व्यवस्था को सभी संस्थानों को नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा अनुमोदित यूजर चार्जेज देकर अपनाना होगा अन्यथा ऐसे तीस अपशिष्ट फैलाने वाले संस्थानों के यंत्रों चार्जेज मौके पर तत्काल बसूल किया जा सकेगा अथवा अनियोजित वापस किया जा सकेगा।

(छ) बूचड़खाना, मास-माछरी बाजारों, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट को जो जैव निम्नकरणीय प्रवृत्ति का होता है, प्रबंध इस प्रकार किया जायेगा ताकि ऐसे अपशिष्ट को उपयोग में लाया जा सके और इनसे कोई संक्रामक बीमारियाँ नहीं फैलें, इसको सुनिश्चित करने के लिए ऐसे व्यवसायियों को स्वयं अपने स्तर से प्रबंधन कर इनका नियमानुसार निरस्तारण सुनिश्चित करना होगा अथवा नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा डोर टू डोर संग्रहण, परिवहन व निरस्तारण हेतु लागू योजना को अपनाकर इसका पालन सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा अपशिष्ट फैलाने पर केयरिंग को अपनाकर इसका पालन सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा अपशिष्ट फैलाने पर केयरिंग चार्जेज मौके पर बसूल किये जा सकेंगे अथवा न्यायालय में अनियोजित वापस किया जा सकेगा।

(ज) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट तथा औद्योगिक अपशिष्टों को नगरीय तीस अपशिष्ट के साथ नहीं मिलाया जायेगा और ऐसे अपशिष्टों का संग्रहण इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप से विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया जायेगा। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को नियमानुसार निरस्तारण हेतु कॉमन बायोमेट्रिकल ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट सुविधा लागू की गई है। उपलब्ध कारवाई गई कॉमन बायोमेट्रिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी संयंत्र से वे निर्धारित शुल्क पर ऐसे अनियोजित अपशिष्ट का निरस्तारण सुनिश्चित करना होगा।

(झ) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित अपशिष्ट को पृथक-पृथक ट्राई साइकिल रिशे अथवा अन्य ट्रिपल गाड़ियों से निर्धारित सामुदायिक कूड़ाघर/ढके हुए कन्टेनरों से प्रसंस्करण प्लांट पर डलवाया जायेगा।

(ञ) बागवानी और निर्माण/ढहाए गये कार्यों से उद्भूत अपशिष्टों/मलबे को अलग-अलग संग्रहित किया जायेगा एवं समुचित मानकों के अनुसार इनका व्ययन किया जायेगा। नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा इस हेतु साप्ताहिक एक दिवस निरस्तारण कर अभ्यास की जायेगी कि बागवानी से अपशिष्टों को नगर निगम, मथुरा वृन्दावन के निर्धारित नजदीक के कूड़ाघर पर मध्याह्न तक आवश्यक रूप से डलवा दिया जाये ताकि उनका समय पर परिवहन सम्भव हो सके। निजी निर्माण/ढहाए गये मकानों के शेष अपशिष्ट अपने स्वयं से प्रबंधन पर अथवा नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा अधिकृत संविदाकार को देय निर्धारित शुल्क पर परिवहन करवाकर निर्धारित चिन्हित गंतव्य स्थल तक पहुंचाना होगा। खुले रथलों, मार्गों, सार्वजनिक स्थलों पर अनाधिकृत रूप से अपना ऐसा निजी मलबा डालना/रखना अधिनियम व नियमों के तहत दण्डनीय होगा।

(ट) अपशिष्ट (कूड़ा करकट, सूखी पत्तियों) को जलाया नहीं जायेगा।

(ठ) कोई भी स्वामी अपने परिसर, प्लाट आदि का प्रयोग कूड़ा डालने (स्वयं व अन्य) तथा अपशिष्ट को जमा करने में प्रयोग नहीं करेगा न करने देगा।

(ड) कोई भी व्यक्ति/फर्म अपने आवास/प्रतिष्ठा/फैक्ट्री का दूषित पानी बोर कर भूगर्भ जल में नहीं छोड़ेगा।

(ढ) आवासीय पशुओं को अपशिष्ट कूड़ादान स्थलों अथवा शहर में किसी अन्य स्थान के आस-पास मूल रूप से घूमने नहीं दिया जायेगा तथा उनका अधिकृत क्षेत्र/स्थल पर ही प्रवन्ध करवा होगा।

(ण) कोई भी व्यक्ति अपने भवन, संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान से गन्दा पानी कीचड़, पानी, नाईट स्थायल गोबर, मलमूत्र, दूषित जल अपने परिसर में इस प्रकार न तो एकत्रित रखेगा न सार्वजनिक मार्गों पर बहने देगा जिससे वातावरण दुर्गन्ध से प्रदूषण हो व जन स्वास्थ्य को हानि होने की सम्भावना रहे अथवा आवागमन में बाधक हो अन्यथा उसके विरुद्ध तत्काल कैंरिंग चार्ज वसूल किया जा सकेगा एवं न्यायालय में अभियोजन किया जा सकेगा।

(त) कोई व्यक्ति किसी प्रकार का गूत मवेशी अथवा उसके अवशेष सार्वजनिक पार्कों इत्यादि में एकत्रित कर किसी प्रकार का प्रदूषण गन्दगी फैलाते हुए पाया जाता है तो दण्डनीय अपराध होगा और उससे कैंरिंग चार्ज भी वसूला जायेगा।

(थ) कोई भी व्यक्ति अपने पालतू पशुओं को सार्वजनिक स्थल पर खुला नहीं छोड़ेगा।

6-नगर निगम, मथुरा वृन्दावन का दायित्व-

(क) नगर निगम, मथुरा वृन्दावन प्रशासन द्वारा नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सभी सार्वजनिक मार्गों, स्थलों, कच्ची बरतियों, झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों, बाजारों, पर्यटक स्थलों, के आस-पास नगर निगम, मथुरा वृन्दावन के स्वयं के उद्योगों, शोशान इत्यादि में प्रतिदिन व सम्पूर्ण वर्ष भर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं यहाँ से एकत्रित किया गया कूड़ा कचरा, मजदूरों के घोषित कूड़ादान/कन्टेनर में एकत्रित करवा कर वहाँ से प्रतिदिन उसका परिवहन अन्तिम निस्तारण स्थल तक बंद वाहनों में करवाने के लिए प्रतिबद्ध होगी जिसके लिए नगर निगम, मथुरा वृन्दावन अपने स्वयं के रथाई सफाई कर्मचारियों एवं वाहनों के लिए अन्य सफाई कर्मचारी रहित कॉलोनियों, क्षेत्रों में निजी संविदाकार से सम्पूर्ण अथवा आंशिक दैनिक सफाई कार्य करवाने के लिए अधिकृत होगी ताकि प्रत्येक क्षेत्र में नगरीय निकास्य द्वारा जन स्वास्थ्य के हित में स्वच्छता व सुन्दरता सुनिश्चित करने में समर्थ हो सके।

(ख) शहर की दैनिक सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था के प्रवन्धन हेतु नगर निगम, मथुरा वृन्दावन अपने शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड कार्यालय (शिकायत केन्द्र) आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थानों पर (कूड़ादान/कन्टेनर सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय) सामुदायिक कूड़ादान कवरे को ट्रांसफर स्टेशन, शहर के कूड़े के अन्तिम निष्कासन हेतु (कचरागाड/लेण्डफिल) प्रोसेसिंग यूनिट इत्यादि स्थापित करने को स्वतंत्र होगा। नगर निगम मथुरा वृन्दावन के क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का नियंत्रण एवं ठोस अपशिष्ट प्रवन्धन निर्धारित प्रावधानों के तहत किया जायेगा तथा अति सम्बन्धित अपशिष्ट निर्माता द्वारा अपनाया जायेगा।

7-नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण-

नगर निगम, मथुरा वृन्दावन क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्टों या कूड़ा-करकट फैलाना प्रतिषेध होगा। यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों मार्गों, निजी खुले स्थलों, पार्कों, पानी के स्रोतों इत्यादि पर गन्दगी कूड़ा-करकट फैलाने व रखने पाया गया तो नगर निगम, मथुरा वृन्दावन के द्वारा अधिकृत अधिकारी जो निरीक्षण के स्तर से काम का नहीं हो संलग्न 'अनुराची-अ' में घोषित/समय-समय पर नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा निर्धारित कैंरिंग चार्ज ऐसे दोषी व्यक्तियों से मौके पर ही वसूल करने के लिये सक्षम होगा। नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा इस हेतु :-

(क) नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के अनुपालन में घर-घर से कचरा एकत्रित करने के लिये 'स्वच्छता मित्र आपके द्वार' योजना निगम के सभी क्षेत्रों/वार्डों में लागू की जायेगी।

मथुरा नगर निगम
नगर निगम

(ख) घर-घर से कचरा संग्रहण हेतु क्षेत्र में निश्चित समय का निर्धारण अनिवार्य रूप से किया जायेगा सामान्यतः समय प्रातः 7:00 बजे से 12:00 बजे तक नियमित रूप से किया जायेगा। किन्तु विशेष साफाई प्रयोजनार्थ नगर निगम, मधुरा वृन्दावन द्वारा निर्धारित समय का पालन सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक कचरा संग्रहण कार्यकर्ता को ट्राई लीडर पर घंटी/नौपू (जिसकी आवाज अनुज्ञेय मानदण्ड से अधिक न हो) भी लगाया जाये ताकि कचरा संग्रहण के समय इसे बजाकर निवासियों को सूचित किया जा सकें।

(ग) व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों/दुकानों से कचरा संग्रहण हेतु सामान्यतः समय प्रातः 09:00 बजे से 01:00 बजे तक रखा जायेगा।

(घ) निम्न घर कचरा संग्रहण योजना के तहत घर-घर से कचरा एकत्रित करने हेतु निम्नानुसार दरें प्रस्तावित हैं :-

क्र.सं.	उपयोग का प्रकार	अवधि	प्रस्तावित दरें
1	2	3	4
			रु०
1	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले-		
	(अ) झोंपड़ा	प्रतिमाह	निःशुल्क
	(ब) पक्का घर/प्लॉट/ई०डब्ल्यू०एस० (1 बी०एच०के०)	प्रतिमाह	30.00
2	एल०आई०जी०	प्रतिमाह	40.00
3	एन०आई०जी० 200 वर्ग मीटर वाले	प्रतिमाह	50.00
4	एच०आई०जी० 200 वर्ग मीटर वाले	प्रतिमाह	70.00
5	सब्जियों एवं फलों के विक्रेता-		
	(अ) ठेला	प्रतिमाह	100.00
	(ब) चलती फिरती दुकान वाले	प्रतिमाह	250.00
6	मांस-मछली की दुकान वाले-		
	(अ) संडकों के किनारे	प्रतिमाह	350.00
	(ब) मांस एवं मछली की दुकान लगाने वाले	प्रतिमाह	700.00
7	रेस्टोरेंट-		
	(अ) छोटे रेस्टोरेंट 200 वर्गफिट तक	प्रतिमाह	1,000.00
	(ब) मध्यम रेस्टोरेंट 200 वर्ग फिट से 300 तक	प्रतिमाह	1,200.00
	(स) 300 वर्ग फिट से अधिक	प्रतिमाह	1,500.00
	(द) अस्थायी फास्ट फूड विक्रेता	प्रतिमाह	500.00
8	होटल/लाज/गेस्ट हाउस-		
	(अ) 20 बेड	प्रतिमाह	1,750.00
	(ब) 21 से 40 बेड	प्रतिमाह	3,500.00
	(स) 41 से अधिक बेड	प्रतिमाह	7,000.00
	(द) 1000 वर्ग मीटर से अधिक (तीन सितारा व उससे अधिक)	प्रतिमाह	14,000.00

1	2	3	4
			₹०
9	धर्मशाला— (अ) अवातानुकूलित धर्मशाला (ब) वातानुकूलित धर्मशाला	प्रतिमाह प्रतिमाह	350.00 1,500.00
10	भैरेज हॉल — (अ) 1000 वर्ग मीटर तक (ब) 1001 से 5000 वर्ग मीटर तक (स) 5001 वर्ग मीटर से अधिक	प्रतिमाह प्रतिमाह प्रतिमाह	2,500.00 4,900.00 10,500.00
11	बेकरी एवं मिठाई की दुकान — (अ) 100 वर्ग फिट से 999 फिट तक (ब) 1000 वर्ग फिट से 1999 फिट तक (स) 2000 वर्ग फिट से अधिक तक	प्रतिमाह प्रतिमाह प्रतिमाह	350.00 525.00 700.00
12	कार्यालय सरकारी एवं गैर सरकारी/प्राइवेट लि०/एक्सपोर्ट कर्म/क० — (अ) 50 कर्मचारी तक (ब) 50-100 कर्मचारी तक (स) 101 से 300 कर्मचारी तक (द) 301 कर्मचारी से अधिक	प्रतिमाह प्रतिमाह प्रतिमाह प्रतिमाह	175.00/700.00 350.00/1,400.00 525.00/2,100.00 700.00/2,800.00
13	रकूल शिक्षण संस्थान हास्टल सहित — (अ) 100 बेड (ब) 100 बेड से अधिक	प्रतिमाह प्रतिमाह	3,000.00 3,000.00
14	रकूल/शिक्षण संस्थान /सरकारी एवं गैर सरकारी — (अ) 500 छात्र/छात्रा (ब) 500 से अधिक छात्र/छात्रा	प्रतिमाह प्रतिमाह	1,050.00/2,100.00 1,750.00/3,500.00
15	इंजी/एम०बी०ए०/व्यवसायिक शिक्षण संस्थान / सरकारी एवं गैर सरकारी (अ) 500 छात्र/छात्राओं तक (ब) 501 से 1000 छात्र/छात्राओं तक (स) 1001 से अधिक छात्र/छात्राओं तक	प्रतिमाह प्रतिमाह प्रतिमाह	3,500.00/7,000.00 7,000.00/14,000.00 10,500.00/21,000.00

	2	3	4
			रु०
16	सरकारी अस्पताल- निजी अस्पताल/नर्सिंग होम-		
	(अ) 1 - 20 बेड	प्रतिमाह	1,000.00
	(ब) 21-40 बेड	प्रतिमाह	8,400.00
	(स) 41-100 बेड	प्रतिमाह	14,000.00
	(द) 100 बेड से अधिक	प्रतिमाह	28,000.00
17	क्लीनिक/पैथालाजी/एक्सरे (चिकित्सकीय कूड़ा रहित)-		
	(अ) क्लीनिक	प्रतिमाह	500.00
	(ब) पैथालाजी/एक्सरे	प्रतिमाह	1,000.00
18	दुकान/चाय की दुकान-		
	(अ) मोहल्ले में	प्रतिमाह	300.00
	(ब) बाणिज्यिक क्षेत्र में	प्रतिमाह	1,000.00
19	आवासीय दुकान-		
	(अ) बिना खाद्य पदार्थों के	प्रतिमाह	300.00
	(ब) खाद्य पदार्थों की बिक्री के साथ	प्रतिमाह	450.00
20	शौ-रूम-		
	(अ) दुपहिया वाहन	प्रतिमाह	1,000.00
	(ब) दुपहिया वाहन वर्कशाप के साथ	प्रतिमाह	3,500.00
	(स) चार पहिया वाहन	प्रतिमाह	2,000.00
	(द) चार पहिया वाहन वर्कशाप के साथ	प्रतिमाह	7,000.00
21	मॉल/व्यावसायिक काम्प्लेक्स-		
	(अ) 1 से 100 मी० तक	प्रतिमाह	3,500.00
	(ब) 1001 से 2000 मी० तक	प्रतिमाह	7,000.00
	(स) 2001 से 5000 मी० तक	प्रतिमाह	10,000.00
	(द) 5001 मी० से ऊपर	प्रतिमाह	14,000.00
22	अनऔद्योगिक इकाई एवं उत्पादन संस्थायें -		
22-1	Non Mechanical and Electrical Units-		
	(अ) 1 से 500 मी० तक	प्रतिमाह	500.00
	(ब) 501 से 1000 मी० तक	प्रतिमाह	1,000.00
	(स) 1001 से 2000 मी० तक	प्रतिमाह	1,500.00
	(द) 2001 से 5000 मीटर तक	प्रतिमाह	2,500.00
	(ध) 5001 मी० से ऊपर	प्रतिमाह	4,000.00

1	2	3	4
			रु०
22(2)	औद्योगिक इकाई एवं उत्पादन संस्थायें - Mechanical and Electrical Units-		
	(अ) 1 से 500 मी० तक	प्रतिमाह	500.00
	(ब) 501 से 1000 मी० तक	प्रतिमाह	1000.00
	(स) 1001 से 2000 मी० तक	प्रतिमाह	1500.00
	(द) 2001 से 5000 मीटर तक	प्रतिमाह	2500.00
	(ध) 5001 मी० से ऊपर	प्रतिमाह	4000.00
23	कबाड़ी/रद्दी आदि का संग्रहण करने वाले -		
	(अ) 1 से 50 मी० तक	प्रतिमाह	200.00
	(ब) 51 से 100 मी० तक	प्रतिमाह	500.00
	(स) 101 से 200 मी० तक	प्रतिमाह	700.00
	(द) 201 से 500 मी० तक	प्रतिमाह	1050.00
	(ध) 501 मी० से अधिक	प्रतिमाह	1400.00
24	जूस/गन्ने का जूस	प्रतिमाह	300.00
25	पब्लिक/प्राईवेट प्रदर्शनी/विवाह/प्रतियोगिता आदि	प्रतिदिन	500.00
26	पेट्रोल पम्प-		
	(अ) पेट्रोल पम्प	प्रतिमाह	500.00
	(ब) पेट्रोल पम्प/सी०एन०जी० पम्प सर्विस स्टेशन के साथ	प्रतिमाह	1750.00
	(स) सर्विस स्टेशन तथा मोटर गैरेज	प्रतिमाह	1400.00
27	डेयरी--		
	(अ) गाय, भैंस पालन (प्रति पशु)	प्रतिमाह	100.00
	(ब) घी, क्रीम, मक्खन, दूध की दुकान/प्रतिभंडार	प्रतिमाह	600.00
28	शराब की दुकान--		
	(अ) केवल शराब की दुकान	प्रतिमाह	1400.00
	(ब) कैंटीन के साथ शराब की दुकान	प्रतिमाह	3500.00
		प्रतिमाह	1500.00
29	बैंक		

(ड) घर-घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क प्रत्येक घर से निगम अथवा निगम द्वारा अधिकृत संस्था/व्यक्ति द्वारा ही वसूल किया जायेगा। उक्त दरों की संस्था/व्यक्ति द्वारा उचित रीति से प्रचार-प्रसार किया जायेगा एवं दरों को रिक्शा ट्राली/ऑटो ट्रिपर पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। अधिकृत संस्था/व्यक्ति को रिक्शा ट्राली/ऑटो ट्रिपर पर संस्था/व्यक्ति का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना होगा।

34 हि० ग०-6

113 ट

संयुक्त नगर आयुक्त
नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन
मथुरा

(घ) संस्था/व्यक्ति का निर्धारित प्रपत्र में साप्ताहिक रिपोर्ट संबंधित नगर निगम, मथुरा वृन्दावन के अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि को प्रस्तुत करनी होगी।

(ङ) होटल/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय परिसरों तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों सहित झुग्गी-झोपड़ी तथा इधर-सधर फैले क्षेत्रों/बरतियों से अपशिष्ट संग्रहण करने हेतु व्यवस्था की जायेगी। इन संस्थानों से उत्सर्जित कचरे डिग्रेडेबल सबस्टेन्स के उद्योग स्थल से बन्द वाहनों में एकत्रित कर, बन्द वाहनों से परिवहन कर नियम मथुरा इनके अन्तिम निस्तारण स्थल पर ले जायेगा।

(ज) इन कन्टेनर के अपशिष्ट को मानव द्वारा उठाई-धराई किया जाना, प्रतिबद्ध करना आदि। किसी कठिनाई के कारण ऐसा करना अपरिहार्य हो तो कर्मकार को सुरक्षा को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए समुचित पूर्ण सावधानी के अधीन मानव द्वारा उठाई-धराई की जा सकेगी।

(झ) किसी भी व्यक्ति द्वारा जनसुविधा के लिए नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा सड़कों/मार्गों/पार्कों इत्यादि पर अपशिष्टों के भण्डारण हेतु उपलब्ध करवाये गये विभिन्न क्षमता के बिनस अथवा कन्टेनर के भीतर कचरा न डालकर, जानबूझकर कचरा बाहर फैलाना निषेध होगा व ऐसा करते हुये पाये जाने वाले व्यक्ति/संस्था से मौके पर ही क्वैरिंग चार्जज वसूल किया जा सकेगा।

(ञ) नगर निगम, मथुरा वृन्दावन कन्टेनर-रहित व्यवस्था भी कर सकेगी लेकिन ऐसे संस्थानों पर कचरा उठाने की बारम्बारता अधिक सुनिश्चित करनी होगी ताकि कचरा सड़कों पर पड़ा नहीं रहे।

8-नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन-

अपशिष्टों का परिवहन करने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन ऊपर से भली-भाँति ढके हुए होंगे ताकि अपशिष्ट लोगों को न तो दिखाई दे सके और न ही यातायात के दौरान अपशिष्ट मार्गों पर बिखर सके तथा इसके लिये निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाया जायेगा।

(क) स्थापित भण्डारण सुविधाओं से प्रतिदिन कूड़ा-कचरा साफ किया जायेगा। कूड़ादान के साथ-साथ आस-पास का क्षेत्र भी साफ सुथरा रखा जायेगा।

(ख) परिवहन वाहनों का डिजाईन ऐसा होगा जिससे कि अपशिष्ट की अन्तिम व्ययन करने के पूर्व बार-बार की जाने वाली उठाई-धराई से बचा जा सके।

9-नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण-

नगर निगम, मथुरा वृन्दावन द्वारा नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों को उपयोगी बनाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से स्वीकृति प्राप्त कर विधिवत आवंटित अथवा प्राप्त स्थलों पर स्वीकृत समुचित तकनीकी अथवा ऐसी विविध तकनीकों को अपनाते हुये जिससे कि भूमि भरण पर भार कम किया जा सके के लिए निम्नलिखित मानदण्डों को अपनाया जा सकेगा-

(क) जैव निस्तारण अपशिष्ट के स्थिरीकरण के लिए कम्पोस्टिंग, वर्मीकम्पोस्टिंग, वात-निरपेक्ष पाचन अथवा अन्य किसी उपयुक्त जैविक संसाधन अपनाकर प्रसंस्कृत किया जा सकेगा, जिससे नगर निगम स्वयं अपने स्तर से अथवा किसी संस्था को लाईसेंस प्रदान कर बीओटी/ओओ पद्धति से कार्य करवा सकेगा।

(ख) पुनः प्राप्त संसाधनों वाले मिश्र अपशिष्ट के लिये रिसाइकिलिंग प्रक्रिया अपनाते हुए विशिष्ट मामलों में अपशिष्ट प्रक्रिया के लिए इनरीनरेशन के साथ अथवा उसके बिना ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पेलेटाईजेशन के प्लांट अथवा और कोई नवीनतम पद्धति है तो स्वयं या कोई सुविधा प्रचालक बीओटी/बीओओटी/पीओटी पर स्थापित करने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से तकनीकी अनुमोदन करवाकर किसी संस्था को अधिकृत लाईसेंस जारी कर सकेगा।

10-नगरीय टोस अपशिष्ट का व्ययन-

भूमिभरण में जैव अग्निमोकरणीय निष्कृत्य अपशिष्ट अथवा अन्य ऐसे अपशिष्ट को जो न तो पुनःचक्रण अथवा न ही जैविक संसाधन के लिए समुचित है निर्विधित रखा जायेगा। भूमिभरण अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से प्रसंस्करण पूर्व छोड़े गये अपशिष्ट से भी बचा जायेगा जब तक उसे अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिये उपयुक्त न पाया जाये। अपरिहार्य परिस्थितियों अथवा वैकल्पिक सुविधायें स्थापित किये जाने तक नगर निगम, मथुरा वृन्दावन अपने लैण्डफिल साईट पर निर्धारित मानदण्डों को अपनाते हुए भूमिभरण कर सकेगा।

11-अभियोजन/शास्तियां -

नगर निगम मथुरा वृन्दावन के नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबन्धन की उपविधि, 2017 के उपरोक्त किसी भी बिन्दु का पालन नहीं करने अथवा उसका उल्लंघन करने पर नगर निगम मथुरा वृन्दावन द्वारा नगर निगम अधिनियम, 1959 के तहत अभियोजन दर्ज कराया जा सकेगा तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 पर तत्धीन निर्मित नियमों के अनुसार अभियोजन स्वीकृति के लिये पर्यावरण दिनाग को सिफारिश कर सकेगा।

(1) इस उपविधि के प्रवर्तन में आने से पूर्व में निश्चित उपविधियों के अन्तर्गत किया हुआ कोई कार्य केवल इस उपविधि के प्रभावीशील हो जाने के कारण अवैध नहीं सनझा जायेगा। बशर्ते की ऐसा कार्य इन उपविधि के विपरीत न हो।

(2) ऐसा निरस्तन इस प्रकार विनिश्चित उपविधि के अधीन की गयी किसी भी बात या किसी भी कार्यवाही या अर्जित या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व दी गयी किसी शास्ति, सम्पत्ति या किये गये किसी अन्वेषण या लक्षित किसी विधि कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा।

(3) टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 एवं टोस अपशिष्ट यदि कोई व्यक्ति जुमाना/केयरिंग चार्ज देने में असफल रहता है तो उसके प्रति नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 550 के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी तथा भू-राजस्व की भौति बकाया धनराशि वसूल की जायेगी।

4- 'अनुसूची - अ'

उपविधियों के उल्लंघन में किये गये कृत्यों के लिए निर्धारित केयरिंग चार्ज

क्र० सं०	कृत्य	नगर निगम द्वारा आरोपित धनराशि
1	2	3
		₹0
1	आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	100.00 प्रतिदिन
2	दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	200.00 प्रतिदिन
3	रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	500.00 प्रतिदिन
4	होटल मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	1,000.00 प्रतिदिन
5	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा खुले में कचरा डालने पर	500.00 प्रतिदिन
6	हलवाई, चाट, पकोड़ी, फास्ट फूड, आईस्क्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस सब्जी एवं फ्रूटआदि ठेला व्यवसायियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा डालने पर	200.00 प्रतिदिन

संयुक्त नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा-वृन्दावन
मथुरा

1	2	3
		₹०
7	शहर के क्षेत्र की यमुना नदी/अन्य नदियों/तालाबों में कूड़ा प्रवाहित करने पर	500.00 प्रतिदिन
8	डेरियों मालिकों द्वारा गोबर को सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना अथवा नाला/नाली में बहाने पर	500.00 प्रतिदिन
9	निजी मकान, दुकान, इत्यादि के निर्माण का मलवा, सामग्री, ईट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर	200.00 प्रतिदिन
10	निजी ट्रेक्टरों द्वारा बजरी, कचरा, मलवा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर	500.00 प्रतिदिन
11	सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चार दीवारी की दीवारों व उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक फिल्मी प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)	1,000.00 प्रतिदिन
12	बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के रोडकटिंग करने पर तथा नाली तोड़ने की दशा में	1,000.00 प्रतिदिन तथा मरम्मत चार्ज
13	अपने मकान भवन का सैप्टिक टैंक न होने/सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
14	क्रमांक 2 से 6 तक वर्णित व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर	500.00 प्रतिदिन
15	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साईकिल रिपेयरिंग कर ऑयल, मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर	500.00 प्रतिदिन
16	भीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियाँ, मलवा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क, आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
17	आम रास्ता, सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी कुत्ते, भेड़, ऊँट, गधा, घोड़ा, सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर	100.00 प्रतिदिन
18	शादी/विवाह स्थलों का कूड़ा सार्वजनिक स्थल पर डालने पर	500.00 प्रतिदिन
19	आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुले आम मांस-मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	500.00 प्रतिदिन
20	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बैठकर सब्जियां बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	100.00 प्रतिदिन
21	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर	100.00 प्रतिदिन

- | क्र.सं. | विवरण | दर |
|---------|--|--|
| 22 | दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने की खाली, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर | 1,000.00 प्रतिदिन |
| 23 | आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर | 1,000.00 प्रतिदिन |
| 24 | प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना इत्यादि द्वारा आम रास्तों, सड़क, फुटपाथ पर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर | 1,000.00 प्रतिदिन |
| 25 | विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों जैसे प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक पैथोलोजी इत्यादि के जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में अथवा सार्वजनिक स्थान पर डालने पर। | 1,000.00 प्रतिदिन |
| 26 | सड़क के किनारे दोशिंग मशीन लगाकर गाड़ियों की धुलाई करने की दशा में। | 200.00 प्रतिदिन तथा पानी का कनेक्शन काटने का चार्ज |
| 27 | खुले में शौच करने पर व सड़क के किनारे शौच करने पर | 100.00 प्रति |
| 28 | व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर डस्टविन न रखने पर | पहली बार 100.00 दोबारा पाए जाने पर 500.00 |
| 29 | सार्वजनिक स्थल सड़क पर धूंकने पर | 100.00 प्रतिदिन |
| 30 | खुले में व सड़क के किनारे पेशाब करने पर | 100.00 प्रतिदिन |
| 31 | मानक रहित पॉलिथिन में कूड़ा रखने पर | 100.00 प्रतिदिन |
| 32 | सड़क पट्टरी सार्वजनिक भूमि पर जनरेटर रख अतिक्रमण करने पर- | |
| | (अ) 5 के०वी० तक | 500.00 प्रतिदिन |
| | (ब) 5 के०वी० ऊपर | 1000.00 प्रतिदिन |
| 33 | मोटर गैरिज | 500.00 प्रतिदिन |
| 34 | केवल वाशिंग लाईन | 500.00 प्रतिदिन |
| 35 | 2 पहिया मैकेनिक वर्कशॉप | 500.00 प्रतिदिन |
| 36 | गाड़ियों/लोहे के कबाड़ी | 500.00 प्रतिदिन |

उपविधियों का उत्त्लंघन करने पर स्थल पर जुर्माना/केयरिंग चार्ज लगाने हेतु नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी-

- 1-जोनल सेनेटरी अधिकारी।
- 2-मुख्य सफाई एवं खादय निरीक्षक।
- 3-सफाई एवं खादय निरीक्षक।
- 4-सहायक अभियन्ता।
- 5-आवर अभियन्ता (निर्माण/जल)।
- 6-अधीक्षक (कर)।
- 7-राजस्व निरीक्षक।

समीर वर्मा,
नगर आयुक्त,
नगर निगम,

संयुक्त नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा-उन्नाव
मथुरा

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री श्याम एसोसियेट साझेदारी फर्म है। जिसका रजिस्टर्ड पता डीएस-9, निराला नगर, लखनऊ-226020, जिसमें साझेदार ओम प्रकाश अग्रवाल, योगेन्द्र कुमार अग्रवाल, मोहित

अग्रवाल, नीरज अग्रवाल तथा पुलकित अग्रवाल हैं, जिसमें से पुलकित अग्रवाल 30 जून, 2018 को अलग हो गये हैं एवं फर्म का नया पता A-6/B, Sector-B, Aliganj, Lucknow-226020 है पुलकित अग्रवाल का फर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है।

मोहित अग्रवाल।